स्पीड पोस्ट

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027

संख्या : ई– ४४२५ /32–जी0एस0/2021.

दिनांकः २२, नवम्बर, 2021.

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कलपति/निदेशक/कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– परिनियम/अध्यादेश में संशोधन के अनुमोदन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालयों/संस्थानों से उपर्युक्त विषयक परिनियम/अध्यादेश में संशोधन के सम्बन्ध में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव इस सचिवालय को प्राप्त होते रहते हैं, जो उपयुक्त व विधिसम्मत् नहीं होते हैं, परीक्षणोपरान्त उनमें पायी जाने वाली कतिपय कमियों के दृष्टिगत् विश्वविद्यालय/संस्थान से जहां एक ओर अनावश्यक पत्राचार करना पड़ता है वहीं परिनियम/अध्यादेश में संशोधन हेतु अनुमोदन में समय भी लग जाता है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर से परिनियम/अध्यादेश में संशोधन के वहीं प्रस्ताव, जो विश्वविद्यालय की विभिन्न प्राधिकारी संस्थाओं (यथा–विद्या परिषद एवं कार्य परिषद) के द्वारा अनुमोदित किये गये हों, के अनुसार ही अनुमोदन हेतु निम्न प्रारूप पर इस सचिवालय को प्रेषित किये जायें। साथ ही वहीं प्रस्ताव इस सचिवालय को प्रेषित किये जायें, जिन्हें अधिनियमों/परिनियमों में मा0 कुलाधिपति को प्रेषित किया जाना आवश्यक व प्रावधानित हो:–

क्र0 सं0	नये या अतिरिक्त परिनियम बनाये जाने हैं अथवा परिनियमों को संशोधित अथवा निरसित किया जाना है?	परिनियम में वर्तमान व्यवस्था (सम्बन्धित धारा सहित बिन्दु संख्या)	प्रस्तावित संशोधन (सम्बन्धित धारा सहित बिन्दु संख्या)	अधिनियम अथवा सम्बन्धित विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत विहित शर्तें पूर्ण कर ली गयीं हैं अथवा नहीं?	प्रस्तावित संशोधित परिनियम के लागू होने की तिथि	विद्या परिषद एवं कार्य परिषद में सम्बन्धित संशोधनों के प्रस्ताव पारित होने की तिथि व मद संख्या (साक्ष्य सहित)	अभ्युक्ति/ प्रस्ताव की उपयोगिता
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							

भवदीय,

(डॉ0 पंकज एल0 जानी)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी।